हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

बुधवार, 4 सितम्बर, 2024/13 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **कागजात सभा पटल पर रखें जाएगें:**

   (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

   (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

   (iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य विनियम (प्रथम संशोधन) व्सवसायों की आय का उपचार, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/420, दिनांक 15.05.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.05.2023 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी-एफ(1)-3/2018, दिनांक 02.06.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.06.2023 को प्रकाशित;

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/ एच(1)-36/2021, दिनांक 22.07.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2023 को प्रकाशित;

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) विनियम (पांचवां संशोधन), 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/414/ (प्रतिभूति जमा), दिनांक 21.08.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित;

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना तथा टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तें (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428, दिनांक 22.09.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.09.2023 को प्रकाशित;

(viii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय व्हीलिंग टैरिफ एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ) विनियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी-एफ(1)-67/2023, दिनांक 29.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2023 को प्रकाशित;

(ix) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कनेक्टिविटी का अनुदान, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के अंर्तराज्य- (तीसरा संशोधन) खुली पहुंच और संबधित मामले विनियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/418, दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.02.2024 को प्रकाशित; और

(x) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ट्रांसमिशन विनियम टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसीएफ(1)-68/2023, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2024 को प्रकाशित।

(2) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 109 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव सोसाइटीज (अमैण्डमेन्ट) रूल्ज, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: कूप-ए(3)-2/2020, दिनांक 14.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

(3) श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-II (एफ)1-1/2023, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2024 को प्रकाशित;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के अन्तर्गत हिमाचल राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21(विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक भू-विज्ञानी, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए-ए003/11/2021, दिनांक 27.05.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2024 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सूचना का अधिकार-एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(4) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति के **76वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **273वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने **102वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **278वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने **103वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा **कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** पर आधारित तथा **उच्चत्तर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के **205वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने **255वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि समिति के **20वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **जल शक्ति विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि समिति के **13वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **सामान्य प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) श्री संजय रत्न, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि समिति के **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **मांग संख्या: 22- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** की वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि समिति के **18वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(4) श्री नन्द लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **11वां मूल प्रतिवेदन** जोकि शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(5) श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **अष्टम् प्रतिवेदन** जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **27वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **मांग संख्या: 14- पशुपालन विभाग** की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **10वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) जोकि समिति के **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** पर आधारित तथा **मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** की वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री बलबीर सिंह वर्मा
श्री हरीश जनारथा } प्रस्ताव करेंगे कि:

"संजौली (शिमला) में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर उत्पन्न हुए तनाव पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

5. विधायी कार्य:

(I) <u>सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

(i) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 6)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 26)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन), अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 24)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 25)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प:

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमश: सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे।"

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"भांग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग पर बना प्रतिवेदन जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सदन में उपस्थापित किया गया था, पर यह सदन विचार करे।"

7. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

श्री विपिन सिंह परमार, "चौधरी सरवन कुमार विश्वविद्यालय की भूमि में से 112 हेक्टयर भूमि पर्यटन गांव (Tourism Village) के लिए सरकार द्वारा NOC दी है, पर चर्चा उठायेंगे।"

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री जीत राम कटवाल, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 03 सितम्बर, 2024 **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) जोकि दिनांक 4 सितम्बर, 2024 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है, पर स्वीकृत संशोधनों की सूची :-

क्र0 संख्या	सदस्य का नाम	पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
	श्री रणधीर शर्मा	1	3	(1)	11	**सरकार के परामर्श शब्दों** को विलोप किया जाए ।
		5	5	(क)(1)	21	**सहायता और सलाह के स्थान** पर **सिफारिश शब्द** जोड़ा जाए।
		6	6	-	8	55 (क) को अन्त:स्थापित नहीं किया जाए ।

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 03 सितम्बर, 2024 सचिव।

***